



Since 1961

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी (Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)



www.dicgc.org.in

सीओ. डीआईसीजी.आईओडी. सं.S52/04-01-046/2025-2026

11 अप्रैल 2025

सभी बीमाकृत बैंक

महोदय/महोदया,

जमा बीमा (डीआई) रिटर्न जमा करने, डीआई प्रीमियम के परिकलन और विप्रेषण तथा डीआईसीजीसी को सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणन की संशोधित प्रक्रिया

जैसा कि आप जानते हैं, बीमाकृत बैंकों को डीआईसीजीसी वेबसाइट के माध्यम से पूर्व-निर्धारित प्रारूप में अर्ध-वार्षिक जमा बीमा रिटर्न प्रस्तुत करना और निगम द्वारा निर्धारित नियत तिथि को या उससे पहले जमा बीमा प्रीमियम का भुगतान करना आवश्यक है। इस संबंध में, डीआईसीजीसी परिपत्रों अर्थात् (i) दिनांक 28 नवंबर 2022 का डीआईसीजीसी/आईओडी/एस1563/05.60.999/2022-23, (ii) दिनांक 02 जून 2017 का डीआईसीजीसी/आईओडी/4413/05.60.999/2017-2018, (iii) दिनांक 8 मार्च 2016 का डीआईसीजीसी/आईओडी/4803/05.60.999/2015-2016, (iv) दिनांक 21 सितंबर 2011 का डीआईसीजीसी/9943/05.60.999/2011-2012, (v) दिनांक 30 अगस्त 2010 का डीआईसीजीसी. डीआईडी.सं.3121/05.03.01/2010-11 (डीआईसीजीसी वेबसाइट www.dicgc.org.in पर उपलब्ध) का संदर्भ दिया जाता है।

2. व्यापक समीक्षा के आधार पर, जमा बीमा (डीआई) रिटर्न की ऑनलाइन प्रस्तुति, डीआई प्रीमियम के परिकलन और भुगतान तथा निगम को सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रियाओं को एकीकृत करने का निर्णय लिया गया है। ये परिवर्तन निगम द्वारा विकसित, सम्यक नामक नए एप्लीकेशन, न्यू इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन सिस्टम (एनआईएस) के माध्यम से सुगम बनाए जाएंगे।

कार्यालय : भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, पोस्ट बॉक्स सं.4571, मुंबई सेंट्रल, मुंबई- 400 008

दूरभाष : 022-23028000 फ़ैक्स: 022-23018165, ई-मेल : dicgc@rbi.org.in

OFFICE: Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Post Box No.4571, Mumbai Central, Mumbai-400 008

Tel: 022-23028000 Fax: 022-23018165, e-mail: dicgc@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।

एनआईएस के अंतर्गत बैंक पंजीकरण और उपयोगकर्ता पहुँच प्रबंधन

3. एनआईएस के अंतर्गत, बैंक पंजीकरण मॉड्यूल बीमाकृत बैंकों से संबंधित कुछ मूल जानकारी प्रदर्शित करेगा, जैसे बैंक का नाम, पंजीकृत पता, नोडल अधिकारी का विवरण और जीएसटीआईएन विवरण। उपयोगकर्ता पहुँच प्रबंधन (यूएम) मॉड्यूल बीमाकृत बैंकों को एनआईएस के अंतर्गत उपयोगकर्ता विशेषाधिकारों का प्रबंधन करने की व्यवस्था करता है। इस मॉड्यूल के अंतर्गत चार विशिष्ट उपयोगकर्ता भूमिकाएँ परिभाषित की गई हैं:

भूमिका	विवरण
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 1 (एस1)/बैंक मेकर	बैंक अधिकारी जो जमा बीमा (डीआई) रिटर्न प्रारंभ करने और प्रासंगिक डेटा भरने के लिए प्राधिकृत किया गया है
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 2 (एस2)/बैंक चेकर	बैंक मेकर (एस1) द्वारा प्रस्तुत किए गए डीआई रिटर्न को सत्यापित करने और अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत बैंक अधिकारी
भुगतान प्रारंभकर्ता	बैंक अधिकारी जो प्रीमियम भुगतान के लिए प्रीमियम चालान जेनरेट करता है
सांविधिक लेखापरीक्षक	बैंक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक को, प्रस्तुत किए गए डीआई रिटर्न की सटीकता को प्रमाणित करने वाला उनका प्रमाणीकरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4. बैंक पंजीकरण और यूएम मॉड्यूल के अंतर्गत एनआईएस में प्रत्येक बीमाकृत बैंक के लिए निम्नलिखित विवरण दर्ज किए जाएंगे:

प्रासंगिक मॉड्यूल	कार्यक्षेत्र	दर्ज किए जाने वाला विवरण
बैंक पंजीकरण मॉड्यूल	बैंक का मूल विवरण	नाम, पता, संपर्क विवरण, नोडल अधिकारी विवरण, जीएसटीआईएन विवरण आदि।
यूएम मॉड्यूल	दो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं (एस1 और एस2) का विवरण	आधार डेटाबेस के अनुसार मूल विवरण, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि (ई-हस्ताक्षर के लिए ओटीपी जेनरेट करने के लिए इस नंबर का उपयोग किया जाएगा)

	भुगतान प्रारंभकर्ता का विवरण	मूल विवरण, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आदि।
	सांविधिक लेखापरीक्षकों का विवरण	फर्म का नाम, सदस्यता संख्या और फर्म पंजीकरण संख्या (एफआरएन)

सभी बीमाकृत बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे ऊपर उल्लिखित जानकारी तैयार रखें। इन्हें निगम द्वारा एक समर्पित लिंक के माध्यम से एकत्रित किया जाएगा, जिसकी सूचना यथासमय बैंकों को दी जाएगी। सभी उपयोगकर्ताओं (जैसा कि पैराग्राफ 3 में सारणीबद्ध है) को बीमाकृत बैंकों द्वारा प्रस्तुत विवरण के आधार पर उनके लॉगिन क्रेडेंशियल के बारे में (स्वतः जनित ईमेल के माध्यम से) सूचित किया जाएगा। बीमाकृत बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे प्रत्येक तीन माह में उपर्युक्त उपयोगकर्ताओं के नामों और क्रेडेंशियल को प्रमाणित करें।

5. एनआईएस के उक्त दो मॉड्यूल के अंतर्गत, बीमाकृत बैंक निम्नलिखित कार्य कर सकेंगे:
- क) बैंक विवरण देखना और अपडेट करना: अर्थात्, बैंक पंजीकरण मॉड्यूल में डीआईसीजीसी रिकॉर्ड के अनुसार बैंक विवरण तक एक्सेस और समीक्षा करना, और किसी भी विसंगति की स्थिति में अपडेट का अनुरोध करना।
- ख) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं का प्रबंधन करना: अर्थात्, यूएएम मॉड्यूल के अंतर्गत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के विवरण देखना, असाइन करना या संपादित करना। एनआईएस में डीआईसीजीसी द्वारा परिवर्तनों को अनुमोदित किया जाएगा।
- ग) सांविधिक लेखा परीक्षकों को शामिल करना: अर्थात्, यूएएम मॉड्यूल के अंतर्गत बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों को शामिल करना और अपडेट करना।
- घ) अनुरोध स्थिति की निगरानी करना: अर्थात्, दोनों मॉड्यूल में वास्तविक समय में सभी प्रस्तुत किए गए अनुरोधों की स्थिति को ट्रैक और मॉनिटर करना।

एनआईएस के तहत डीआई रिटर्न जमा करना और प्रीमियम का भुगतान

6. वर्तमान में, आईएसएस पोर्टल (डीआईसीजीसी वेबसाइट पर उपलब्ध) पर डीआई रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया बैंकों द्वारा प्रीमियम भुगतान (एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से) के प्रेषण से

जुड़ी नहीं है। प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, मिलान संबंधी समस्याओं को दूर करने और जीएसटी समय-सीमा के साथ तालमेल बिठाने के लिए, निगम ने इन दोनों प्रक्रियाओं को एनआईएस के अंतर्गत एकीकृत कर दिया है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- क) बीमाकृत बैंक के एस1 को डीआईसीजीसी से ईमेल द्वारा प्राप्त क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एनआईएस में लॉग इन करना होगा और डीआई रिटर्न के लिए आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी।
 - ख) विवरण दर्ज करने के बाद, एस1 को ई-साइन गेटवे पर निर्देशित किया जाएगा, जहां उपयोगकर्ता को अपने आधार नंबर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर करना होगा और जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
 - ग) इसके बाद प्रस्तुति को एस2 को भेजा जाएगा, जो विवरणों का सत्यापन करेगा तथा प्रस्तुति पर समान रूप से ई-हस्ताक्षर करेगा।
 - घ) एक बार दोनों हस्ताक्षर प्राप्त हो जाने पर, बैंक का भुगतान प्रारंभकर्ता एनआईएस के तहत एक प्रीमियम चालान जेनरेट करने में सक्षम हो जाएगा, जिसमें अनुमोदित डीआई रिटर्न के तहत गणना की गई शुद्ध देय प्रीमियम राशि दर्शाई जाएगी।
 - ङ) प्रीमियम चालान प्रतिदिन प्रातः 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच जेनरेट किया जा सकता है। यह चालान केवल शाम 4:30 बजे तक ही वैध होगा, इसलिए इस चालान के आधार पर प्रीमियम का भुगतान उसी दिन शाम 4:30 बजे तक किया जाना चाहिए। चालान की अवधि समाप्त होने पर, नया चालान अगले दिन ही जेनरेट किया जा सकता है। इसलिए, बीमाकृत बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भुगतान समय से पहले ही शुरू कर दिया जाए।
 - च) डीआई रिटर्न निगम को स्वतः ही तब प्रस्तुत किया जाएगा जब बैंक द्वारा निवल देय प्रीमियम राशि सफलतापूर्वक एनआईएस द्वारा जेनरेट किए प्रीमियम चालान के आधार पर आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से डीआईसीजीसी को प्रेषित कर दी जाएगी।
7. एनआईएस के लागू होने के बाद, डीआईसीजीसी के चालू खाते में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना या एनआईएस के बाहर किसी भी माध्यम से किए गए भुगतान स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अनुपालन सुनिश्चित करने और विसंगतियों से बचने के लिए नई प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें।

सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र (एसएसी) प्रस्तुत करना

8. मौजूदा निर्देशों के अनुसार, बैंकों द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक को निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप में, सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र (एसएसी) के माध्यम से, पिछले दोनों छमाहियों के लिए, चालू वित्तीय वर्ष की 30 जून तक भुगतान किए गए प्रीमियम और निर्धारणीय जमाराशियों को प्रमाणित करना आवश्यक है। एनआईएस के प्रारंभ के साथ, बैंकों द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों को आवेदन के भीतर डीआई रिटर्न को प्रमाणित करना आवश्यक होगा। बीमाकृत बैंकों द्वारा डीआई रिटर्न सफलतापूर्वक जमा करने के बाद, सांविधिक लेखा परीक्षकों को ईमेल के माध्यम से डीआईसीजीसी से प्राप्त अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करना होगा, जमा किए गए डीआई रिटर्न की समीक्षा करनी होगी, निर्दिष्ट क्षेत्रों में अपनी टिप्पणियां दर्ज करनी होंगी और इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर करके अपना प्रमाणन प्रस्तुत करना होगा। यह नोट किया जाए कि एनआईएस के माध्यम से केवल एसएसी प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा रहा है। सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा डेटा के सत्यापन की प्रक्रिया अपरिवर्तित रहेगी।
9. एनआईएस के कार्यान्वयन के साथ, डीआई रिटर्न और एसएसी की स्कैन की गई प्रतियाँ प्रस्तुत करने की वर्तमान आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद, डीआई रिटर्न, प्रीमियम भुगतान और सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणन संबंधी अनुपालन केवल एनआईएस एप्लिकेशन के माध्यम से ही किया जाना होगा। बीमाकृत बैंकों को एनआईएस के लॉन्च के बारे में, इसके यूआरएल सहित, शीघ्र ही सूचित किया जाएगा, जिसके बाद एप्लिकेशन का लिंक डीआईसीजीसी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।
10. जब तक उक्त अधिसूचना जारी नहीं हो जाती, तब तक बीमाकृत बैंक आईएसएस के तहत मौजूदा प्रक्रिया-प्रवाह का उपयोग करते हुए डीआई रिटर्न, प्रीमियम भुगतान और सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाणपत्र से संबंधित इन अनुपालनों को प्रस्तुत करना जारी रख सकते हैं।
11. बीमाकृत बैंकों और उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों को सूचित किया जाता है कि वे नई प्रक्रिया से परिचित हो जाएँ और अद्यतन दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। एनआईएस के उपयोगकर्ता मैनुअल यथासमय डीआईसीजीसी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाएँगे।

12. यह सूचित किया जाता है कि जानबूझकर गलत विवरण देने की स्थिति में, बीमाकृत बैंक डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 47(1) के अनुसार कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी रिटर्न को जमा करने में देरी / किसी भी रिटर्न को जमा करने में विफलता / रिटर्न में गलत रिपोर्टिंग होने पर अधिनियम की धारा 47(2) (दिनांक 11 अगस्त 2023 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसार संशोधित) के तहत प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
13. सभी सदस्य बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अनुपालन सुनिश्चित करें।
14. कृपया परिपत्र की प्राप्ति की पुष्टि करें।

भवदीय,

अनूप कुमार

(अनूप कुमार)

मुख्य महाप्रबंधक



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

Since 1961

भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी (Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)



www.dicgc.org.in

CO.DICG.IOD.No.S52/04-01-046/2025-2026

April 11, 2025

All Insured Banks

Dear Sir/Madam,

Revised Procedure of Submission of Deposit Insurance (DI) Returns, Computation and Remittance of DI Premium and Certification by Statutory Auditor to DICGC

As you are aware, the insured banks are required to submit a Half-yearly Deposit Insurance Return in a pre-set format, through the DICGC Website and pay Deposit Insurance Premium on or before the due date as prescribed by the Corporation. In this regard, a reference is drawn to DICGC circulars, viz. (i) DICGC/IOD/S1563/05.60.999/2022-23 dated November 28, 2022, (ii) DICGC/IOD/4413/05.60.999/2017-2018 dated June 02, 2017, (iii) DICGC/IOD/4803/05.60.999/2015-2016 dated March 8, 2016, (iv) DICGC/9943/05.60.999/2011-2012 dated September 21, 2011, (v) DICGC.DID.No. 3121/05.03.01/2010-11 dated August 30, 2010 (available on the DICGC website at www.dicgc.org.in).

2. Based on a comprehensive review, it has been decided to integrate the processes of online submission of Deposit Insurance (DI) Return, calculation and payment of DI Premiums and submission of Statutory Auditor Certificate to the Corporation. These changes shall be facilitated through the new application, New Integrated Application System (NIAS), named *Samyak*, developed by the Corporation.

Bank Registration and User Access Management under NIAS

3. Under NIAS, the Bank Registration module shall display certain basic information pertaining to insured banks, such as, the bank's name, registered address, nodal officer details and GSTIN particulars. The User Access Management (UAM) module

कार्यालय : भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, पोस्ट बॉक्स सं.4571, मुंबई सेंट्रल, मुंबई- 400 008

दूरभाष : 022-23028000 फेक्स: 022-23018165 ई-मेल : dicgc@rbi.org.in

OFFICE: Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Post Box No.4571, Mumbai Central, Mumbai-400 008

Tel: 022-23028000 Fax: 022-23018165, e-mail: dicgc@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।



enables insured banks to administer user privileges within NIAS. Four distinct user roles have been defined under this module as under:

Role	Description
Authorised Signatory 1 (AS1)/ Bank Maker	The bank official authorised to initiate and populate the Deposit Insurance (DI) Return with relevant data
Authorised Signatory 2 (AS2)/ Bank Checker	The bank official authorised to verify and approve the DI Return submitted by the Bank Maker(AS1)
Payment Initiator	The bank official who generates the premium challan for premium payment
Statutory Auditor	The bank's appointed statutory auditor, required to submit their certification attesting the accuracy of submitted DI Returns.

4. The following details shall be captured against each insured bank in NIAS under Bank Registration and UAM modules:

Pertinent Module	Field	Details to be captured
Bank Registration Module	Basic details of Bank	Name, address, contact details, nodal officer details, GSTIN details, etc.
UAM Module	Details of two Authorised Signatories (AS1 & AS2)	Basic details, Email ID, Mobile number, etc. as per Aadhar database (the number will be used to generate OTP for e-signature)
	Details of Payment Initiator	Basic details, Email ID, Mobile number, etc.
	Details of Statutory Auditors	Firm name, membership number and Firm Registration Number (FRN)

All insured banks are advised to be in readiness with the information as outlined above. These will be collected by the Corporation through a dedicated link, which will be intimated to banks in due course. All the users (as tabulated in paragraph 3) shall be intimated about their login credentials (through an auto-generated email)



based on the details submitted by the insured banks. The insured banks are advised to authenticate names and credentials of aforementioned users every three months.

5. Under the said two modules of NIAS, insured banks will be able to:

- a) View and Update Bank Details: i.e., access and review bank details as per DICGC records in Bank Registration Module, and request updates in case of any discrepancy.
- b) Manage Authorised Signatories: i.e., view, assign, or edit details of authorised signatories under UAM module. The changes will be approved by DICGC in NIAS.
- c) Onboard Statutory Auditors: i.e., onboard and update bank's statutory auditors under UAM module.
- d) Monitor Request Status: i.e., track and monitor the status of all submitted requests in real-time in both modules.

Submission of DI Returns and Payment of Premium under NIAS

6. At present, the process of submission of DI returns on the IASS portal (available on the DICGC website) is not linked to remittance of premium payment (via NEFT/RTGS) by banks. To streamline the process, and to obviate reconciliation issues and align with GST timelines, the Corporation has integrated both these processes under NIAS, as given below:

- a) The AS1 of the insured bank shall be required to log into NIAS using the credentials received from DICGC vide email and enter the necessary information for the DI Return.
- b) After entering the details, the AS1 will be directed to an e-sign gateway wherein the user has to electronically sign using their Aadhar number and submit the information.
- c) The submission will then be sent to the AS2, who shall verify the details and e-sign the submission in a similar manner.
- d) Once both signatures are obtained, the bank's payment initiator will be able to generate a premium challan under NIAS reflecting the net payable premium amount, as calculated under the approved DI Return.



- e) The premium challan can be generated between 12:00 AM to 4:00 PM every day. This challan will be valid only till 4:30 PM and hence, payment of premium should be initiated against this challan latest by 4:30 PM on the same day. In case of expiry of challan, a new challan can be generated only on the following day. Hence, insured banks must ensure that the payment is initiated well in advance.
- f) The DI Return will be automatically submitted to the Corporation only after the net payable premium amount has been successfully remitted by the bank to DICGC, via IMPS/NEFT/RTGS, exclusively against the premium challan generated by NIAS.

7. Post implementation of NIAS, payments made to DICGC's current account without following the prescribed mode or through any mode outside of NIAS will not be accepted. Banks are advised to strictly adhere to the new process to ensure compliance and avoid discrepancies.

Submission of Statutory Auditor Certificate (SAC)

8. As per the extant instructions, the Statutory Auditor appointed by banks are required to certify the Premium paid and the Assessable Deposits, by June 30th of financial year in progress, for both previous half years, via a Statutory Auditor Certificate (SAC), in the format as prescribed by the Corporation. With the introduction of NIAS, the statutory auditors appointed by banks will be required to certify the DI Return within the application. Following the successful submission of DI Return by insured banks, the statutory auditors will have to log in with their credentials received from DICGC vide email, review the submitted DI Returns, record their observations in the designated fields, and electronically sign and submit their certification. It may be noted that only the process of submitting SAC is being facilitated through NIAS. The process of verification of data by the statutory auditor will remain unchanged.



9. With the implementation of NIAS, the present requirement to submit scanned copies of the DI Return and SAC will be discontinued. Thereafter, compliance with regard to DI Returns, premium payments, and certification by statutory auditors must be conducted exclusively through the NIAS application. The insured banks will be notified about the launch of NIAS, including its URL, shortly, following which the link to application will be available on the DICGC website.

10. Until the said notification is released, the insured banks may continue to submit the compliances pertaining to DI Returns, premium payments, and Statutory Auditor Certifications using the existing process-flow under IASS.

11. Insured banks and their statutory auditors are advised to familiarize themselves with the new process and ensure adherence to the updated guidelines. User manuals of NIAS will be made available on DICGC website in due course.

12. It is advised that in case of wilful misstatement, insured bank shall be liable for action in terms of Section 47(1) of the DICGC Act, 1961. Further, any delay in the submission of any returns / failure in submission of any returns / misreporting in returns shall invite penal action in terms of provisions under Section 47(2) of the Act (amended as per Gazette notification dated August 11, 2023).

13. All member banks are advised to ensure compliance.

14. Please confirm receipt of the circular.

Yours sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anup Kumar', is written over a light blue horizontal line.

(Anup Kumar)
Chief General Manager